उपबंधार

केन्द्रीय भण्डारण नियम के दैनिक काम-काज में राजभाषा का काफी अच्छा प्रयोग हो रहा है। नियम द्वारा हिंदी के कार्यन्ययन, प्रचार-प्रसार के लिए किए जा रहे प्रयास भी काफी सराहनीय हैं। नियम के हिंदी कार्य को देखते हुए भारत सरकार द्वारा नियम को कई बार राजभाषा पुस्तकार से भी सम्मानित किया गया है।

केन्द्रीय भण्डारण नियम के कार्य का ढाँचा, कार्यक्रेन, कार्यप्रणाली, दैनिक काम-काज में समाज के विभिन्न क्षेत्रों से सम्पर्क तथा नियम के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भरती व स्थायान्तरण की नीति, जिसमें हिंदी तथा हिंदीदर्श भाषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को हिंदीदर्श तथा हिंदी भाषी दोनों प्रकार के राज्यों में स्थायान्तरित किया जाता है, हिंदी के विकास, प्रचार-प्रसार के कार्य के अनुसार और सहायता है। इन्हीं नीतियों, प्रणालियों के अधीन नियम द्वारा प्रयोजनमुक्त हिंदी को और भी अधिक सुदृढ़ तथा विकसित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

तथापि नियम में हिंदी के कार्यन्ययन, प्रचार-प्रसार हेतु किए जा रहे प्रयासों के अतिरिक्त आवश्यकता है राजभाषा नीति के कार्यन्ययन के लिए एक स्पष्ट व स्थय परिषद बनाने की। राजभाषा को मन से स्थीर करने एवं राजभाषा में ही सोचने व कार्य करने की अदृष्ट लगन की। आवश्यकता है स्वतंत्र मानवता से सहयोगिता कार्य वातावरण में अनिवार्यता और तुरुत्त के साथ मजबूत समीकरण बनाने की, जिससे राजभाषा के प्रयोग को कार्यरूप में लाने के लिए साथ-साथ तत्कालीन आदेशों, सिद्धांतों एवं अनुदेशों को स्थायित्व दिने एवं प्रचार-प्रसार के प्रयोग को और भी बढ़ावा मिले सकें।